

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274350
SG-DL-E-10072026-274350असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 89
No. 171]	DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948	[N. C. T. D. No. 89

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

फा0 सं0 44(52)/2022/डीएसडब्ल्यू/प्रशा0-II/भर्ती नियम/धोबी/धोबिन.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में धोबी के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को धोबी भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।
(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-** ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव :-** इन नियमों में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	धोबी
2.	पदों की संख्या	:	21 *(2026) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-‘ग’ अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-)
5.	क्या चयन पद है/गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप :- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य:- मान्यता-प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष योग्यता। टीप : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो (02) वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए टीप : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों को परिवीक्षा की पूर्णता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) : 1. प्रधान सचिव /सचिव (प्रशा0 सुधा0) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य 3. उप-सचिव (सा0प्रशा0वि0) –सदस्य टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नीरज कुमार, निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd July, 2026

No. F. 44(52)/2022/DSW/Admn-II/RRs/washermen/washerwomen.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Washer Person in the Department of Social Welfare, Government of National Territory of Delhi, namely: -

- Short title and commencement:** - (i) These rules may be called the Washer Person Recruitment Rules, 2026.
(ii) They shall come into force on the date of its publication in official gazette.
- Number of Posts, Classification and level in the pay matrix:** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc:** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification:** - No person-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of the Post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post / Non-Selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Washer Person	21 *(2026) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial,	Level-1, (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix	Not Applicable	Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.

Educational and other Qualification required for Direct Recruits	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: - 10th Standard pass or its equivalent qualification from recognized Board. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the Competent Authority for completion of probation.

Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by Promotion/ deputation/transfer, grades from which Promotion/ deputation/transfer to be made
(10)	(11)
By Direct recruitment.	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Composition of Group-‘C’ Departmental Confirmation Committee (for confirmation): 1. Pr. Secretary/Secretary (AR)- Chairman 2. Head of Department concerned- Member 3. Dy. Secretary (GAD)- Member Note:-Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
NIRAJ KUMAR, Director (Social Welfare)